"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 — श्रावण 7, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–7/2017/38–2 (पार्ट–1). — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/8471, दिनांक 18–06–2018 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 23 से 27 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव.

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 23

बी.एस.सी. (ऑनर्स) – 03 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. **प्रयोज्यता–**

1.1 विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम प्रस्तावित करेगा एवं विश्वविद्यालय के कानून/अध्यादेश में उल्लेखित विभाग के विशिष्ट विषयों में बी.एस. सी. निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रम प्रस्तावित करेगा। विभाग के साथ विषयों का विवरण निम्नांकित है :–

क्र.	विभाग	विषय
1.	फिजिकल साइंस	भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, लेजर विज्ञान एवं अनुप्रयोग, द्रव्य विज्ञान, नैनो मटेरियल्स, नैनो टेकनोलॉजी, इलेक्ट्रानिक्स, विमान रखरखाव, विमानन, एविऑनिक्स
2.	केमिकल साइंस	रसायन, अनुप्रयुक्त रसायन, औद्योगिक रसायन
3.	मेथेमेटिकल एवं कम्प्यूटेशनल साइंस	गणित, अनुप्रयुक्त गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान
4.	लाईफ साइंस	वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी, गृह विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, खाद्य और पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी
5.	अर्थ साइंस	भू गर्भ शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान

1.2 संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् बी.एस.सी. (ऑनर्स) की उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.3 उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए ग्रेडों एवं क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि–

2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डारी (10+2) या राज्य/राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रासंगिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। एकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

2.2 बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित अनुसार दिया जायेगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

2.3 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय प्रवेश की अधिसूचना समाचार पत्रों में/ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर/विश्वविद्यालय की सूचना पटल पर जारी करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे (10+2)/हायर सेकण्डरी परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.6 विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो छः समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।

3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

3.3 बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि पांच वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकेगा।

3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना–

बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क–

बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा –

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 65% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 **अंको का आधार**

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 **क्रेडिट का आधार**

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक केडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक केडिट के बराबर होगा। अंतः केडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में केडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित केडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी बी.एस.सी. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी केडिट अर्जित करता हो।

8. **उपस्थिति–**

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक

एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति–

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. केडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

10.1 केडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यकम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यकम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

10.2 पाठ्यकम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 24

बी.कॉम एवं बी.कॉम (ऑनर्स) – 03 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता–

1.1 विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रम प्रस्तावित करेगा :–

(i) वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम)

(ii) वाणिज्य में प्रवीण्यता के साथ स्नातक (बी.कॉम ऑनर्स)

इन स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि त्रिवर्षीय होगी।

1.2 संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.3 उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए ग्रेडों एवं क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि–

2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डारी (10+2) या राज्य/राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रासंगिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। एकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

2.2 बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित अनुसार दिया जायेगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

2.3 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय प्रवेश की अधिसूचना समाचार पत्रों में/ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर/विश्वविद्यालय की सूचना पटल पर जारी करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स)पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे (10+2)/हायर सेकण्डरी परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.6 विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो छः समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।

3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

3.3 बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि पांच वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति

सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकेगा।

3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना–

बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क–

बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा –

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 65% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 **क्रेडिट का आधार**

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. **उपस्थिति–**

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति–

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. केडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

10.1 केडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यकम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यकम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

10.2 पाठ्यकम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 25

एम.कॉम – 02 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता–

विश्वविद्यालय का प्रबंधन संकाय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाणिज्य में स्नातकोत्तर प्रस्तावित करेगा। वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि उन अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी जिन्होंनें इस अध्यादेश के प्रावधान के अंतर्गत, पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन कार्य उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि–

2.1 प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

2.2 अभ्यर्थी जो कि एम.काम. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक उपाधि प्राप्त कर चुका हो।

2.3 तथापि उपरोक्त वर्णित संदर्भ (2) के अलावा, अभ्यर्थी जो संचालक मण्डल द्वारा मान्य संस्थाओं से प्रायोजित या उचित माध्यम से विदेशी राष्ट्र से प्राप्त आवेदन भी एम.कॉम. में प्रवेश हेतु विचार किए जा सकते हैं। इनके प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियम द्वारा इस संदर्भ में शामिल होंगे।

2.4 एम.कॉम. पाठ्यक्रम में प्रवेश की शर्तें विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नीति पर निश्चित किया जाएगा व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 एम.कॉम. उपाधि विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

3.1 एम.कॉम. पाठ्यक्रम की अवधि प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन कार्य के साथ सामान्यर्त 4 सेमेस्टर का होगा। अभ्यर्थी को प्रोजेक्ट कार्य किसी उद्योग एवं अधिनियम में निर्धारित अन्य प्रमाणित संगठन में करने की अनुमति दी जा सकती है

3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

3.3 एम.कॉम. पाठ्यकम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि 4 वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यकम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकेगा।

3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यकम की संरचना–

एम.कॉम. पाठ्यकमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यकम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यकम का शुल्क–

एम.कॉम. पाठ्यकमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा –

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 65% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्राप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 **अंको का आधार**

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 **क्रेडिट का आधार**

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक केडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक केडिट के बराबर होगा। अंतः केडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में केडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित केडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी केडिट अर्जित करता हो।

8. **उपस्थिति–**

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक

एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. प्रोजेक्ट एवं थिसिस का मूल्यांकन –

(क) **थिसिस/प्रोजेक्ट कार्य :** प्रत्येक छात्र अंतिम सेमेस्टर के दौरान प्रोजेक्ट कार्य करेगा। प्रत्येक छात्र विभाग के शिक्षक के दिशा निर्देशन में प्रोजेक्ट कार्य करेगा। छात्र प्रोजेक्ट को आरंभ करने का कार्य, उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठन या अन्य शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय जहां प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्याप्त सुविधाएं हों, करेगा। विभाग के पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से एक सह–पर्यवेक्षक/सह–मार्गदर्शक की नियुक्ति उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशाला या अन्य विश्वविद्यालय से की जा सकती है। आंतरिक पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक यदि आवश्यक होता है तो, छात्र के प्रोजेक्ट के लिए उद्योग, या अनुसंधान प्रयोगशाला या अनुसंधान विश्वविद्यालय का मुआयना कर सकता है।

(ख) **डिसर्टेशन एवं मौखिक परीक्षा–** छात्र को उसके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट कार्य पर एक डिसर्टेशन जमा करना होगा। विभागाध्यक्ष को शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्दिष्ट तिथि को चार बाध्य प्रतिलिपि जमा करना होगा। एक संक्षिप्त जीवनवृत्त व किए गए एक पृष्ठ का प्रोजेक्ट कार्य का सार डिसर्टेशन के साथ संलग्न करना होगा। बाह्य परिक्षक जो कि विभाग द्वारा विशेषज्ञों की सूचि से प्रस्तावित हो, को शोध ग्रंथ परिक्षण के लिए भेजा जाएगा। डिसर्टेशन की मौखिक परीक्षा शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित तिथि को ली जाएगी। बाह्य परिक्षक जिसने शोध ग्रंथ का परीक्षण किया है मौखिक परीक्षा भी लेगा।

(ग) **प्रोजेक्ट का विस्तार** – विभाग के अनुमोदन से उस स्कूल के डीन द्वारा विशेष परिस्थिति में अधिकतम 6 माह के लिए समय वृद्धि की जा सकती है।

(घ) **अभिस्वीकृति**– छात्र, उद्योग संस्थान के पर्यवेक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि उनके संस्था, आर. एण्ड डी. संस्था या विश्वविद्यालय की प्रोजेक्ट की पूर्णता में संलग्न हो को संलग्न करेगा।

10. प्रोग्राम में विराम–

छात्रों को प्रोग्राम में, किसी कार्यभार को ग्रहण करने के लिए अवकाश की अनुमति दी जा सकती है परंतु वे कोर्स कार्य पूर्ण कर चुके हों। प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन कार्य बाद में भी कार्यरत संस्था में यदि वहां अनुसंधान व्यवस्था हो या विश्वविद्यालय में पूर्ण की जा सकती है। ऐसे छात्र प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन कार्य, प्रोग्राम की अधिकतम तय सीमा में पूर्ण करेंगे। प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन कार्य बाद की तिथि में पूर्ण करने की मंशा से प्रोग्राम को किसी भी चरण में बंद करने के इच्छुक छात्र, इसे करने के पूर्व स्कूल के डीन/विभागाध्यक्ष से अनुमति की प्राप्त कर सकेंगे।

11. प्रोजेक्ट कार्य–

11.1 अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के प्रायोजित छात्र जिनके पास प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की सुविधा है तथा वे छात्र जो कोर्स कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे संस्था में रोजगार प्राप्त करते हैं, को ऐसी संस्थाओं में अपने प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

11.2 नियमित छात्रों को भी प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास इकाईयों एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपने प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

11.3 वे छात्र, जिन्हें प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन कार्य उद्योग या अनुसंधान एवं विकास इकाई और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में करनं की अनुमति है, उन्हें उस कार्य की अवधि के लिए ट्यूशन एवं अन्य शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। यदि वे कोई आंतरिक

सहायता प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन कार्य कर रहे उद्योग संस्थान से प्राप्त कर रहे हैं तो वे विश्वविद्यालय से किसी वृत्ति/छात्रवृत्ति/फेलोशिप प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

12. केडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

12.1 केडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

12.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

12.3 प्रयुक्त किये जाने वाला लेटर ग्रेड एवं उनका समकक्ष संख्या (जिसे ग्रेड प्वाइंट कहा जायेगा), इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

12.4 लेटर ग्रेड पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक एवं प्रत्येक माड्यूल (घटक) के लिये पृथक तौर पर दिया जायेगा।

12.5 सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (एसजीपीए) सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट के भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एसजीपीए इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित की जायेगी।

12.6 क्यूमूलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (सीजीपीए) उपाधि कार्यक्रम में उसके प्रवेश के सभी पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट का भारित औसत है तथा विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है। सेमेस्टरांत में सीजीपीए शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित किया जायेगा।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 26

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) – 02 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

1.1 यह अध्यादेश शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों पर लागू होगा। शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) की उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.2 उपरोक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यू.जी.सी.)/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित मापदंड और मानक के अनुरुप होगा।

1.3 उपरोक्त पाठ्यक्रम द्विवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम होगा जो कि चार सेमेस्टर में विभाजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर लगभग छः माह अवधि का होगा जिसमें अवकाश/प्रारंभिक अवकाश/परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण शामिल रहेगा।

1.4 पाठ्यक्रम में सीट की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंधक मण्डल द्वारा अधिकृत नियामक संस्था के द्वारा जारी मानक के अनुरुप होगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता एवं चयन विधि

अधिकृत नियामक/ वैधानिक संस्था के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्नांकित होगी :

2.1 बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक आवेदक को एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुरुप स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई भारत सरकार से मान्यताप्राप्त अंर्तमहाविद्यालयीन/अंर्तक्षेत्र/जिला/विद्यालय स्तर पर कम से कम सहभागिता होनी चाहिए।

2.2 बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश शैक्षणिक परिषद् और / या वैधानिक संस्था के मानदंड एवं मानक के अनुरुप होगा।

2.3 बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित मानक अनुसार दिया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय समाचार पत्रों/ विश्वविद्यालय वेबसाइट/ विश्वविद्यालय सूचना पट्ट में सूचना प्रकाशित करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश हेतु भी पात्र होंगे और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति भी बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु वे स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थीयों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी, परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2.6 विश्वविद्यालय, छात्र के असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उस पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर पर उसके प्रवेश को निरस्त कर उसके अध्ययन को मध्य में ही समाप्त करने का अधिकार आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि एवं चालन

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होगी जो कि चार समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।

3.2 अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर सेमेस्टर अंतराल सहित घोषणा किया जाएगा।

3.3 पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होगी। तथापि कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकते हैं, जो कि संतोषजनक कारण में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना

बी.पी.एड पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी./एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. शुल्क

पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित होगा।

6. परीक्षा

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर के दौरान एवं इसके अंत में क्रमशः प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) का आयोजन करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकृत करेगा।

6.2 प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) के पाठ्यक्रम के संपूर्ण घटक के लिए विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6.3 निम्नलिखित कारणों से छात्रों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा अंत सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है :–

(क) छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने पर।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि –

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 65% से कम अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थिति पर।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) में संतोषजनक प्रदर्शन न होने पर।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित छात्रों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) आयोजित करेगा। इस परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या परीक्षा देने से चूक गए हों।

6.5 यदि अभ्यर्थी किसी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्णतः उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे श्रेणी/अंक/ग्रेड में सुधार या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परीक्षा पुनः देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)

7.1 अंक का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन पाठ्यक्रम के घटकों के अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) द्वारा सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन में किया जाएगा। पाठ्यक्रम के समग्र/ अंतिम परिणाम (पी.आर.ई. + ई.एस.ई.) में न्यूनतम व अधिकतम अंक शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के अनुरुप होगा।

(ख) निर्धारित पाठ्यक्रम में अर्ह होने के लिए छात्र को उस पाठ्यक्रम के अंतिम परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा, वहीं ट्यूटोरियल (टी)/प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घण्टा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अतः क्रेडिट = (एल+.(टी+पी)/2)। विषय में क्रेडिट पूर्ण संख्या होगा किन्तु आंशिक संख्या नहीं होगा। यदि किसी विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आबंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी बी.पी.एड. की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह उस पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया हो में आबंटित सभी क्रेडिट अर्जित किया हो।

8. उपस्थिति

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है, किंतु 5 प्रतिशत एवं अतिरिक्त 5 प्रतिशत उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर क्रमशः संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा की जा सकती है। तथापि, किसी शर्त के तहत अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या वह प्रतिशत जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को अंत सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

10.1 क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम व उसके अधिभार पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की पेशकश किसी सेमेस्टर के दौरान की जा सकेगी।

10.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

———

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 27

मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.) – 02 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

1.1 यह अध्यादेश शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों पर लागू होगा। शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा शारीरिक शिक्षा में स्नातक (एम.पी.एड.) की उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.2 उपरोक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यू.जी.सी.)/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित मापदंड और मानक के अनुरुप होगा।

1.3 उपरोक्त पाठ्यक्रम द्विवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम होगा जो कि चार सेमेस्टर में विभाजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर लगभग छः माह अवधि का होगा जिसमें अवकाश/प्रारंभिक अवकाश/परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण शामिल रहेगा।

1.4 पाठ्यक्रम में सीट की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंधक मण्डल द्वारा अधिकृत नियामक संस्था के द्वारा जारी मानक के अनुरुप होगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता एवं चयन विधि

2.1 एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता बी.पी.एड., बी.एस.सी. (शारिरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व खेलकूद) या एन.सी.टी.ई. के अंक प्रतिशत के दिशा निर्देश के अनुरुप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्य के आरक्षण नियम का पालन होगा।

2.2 एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश शैक्षणिक परिषद् और / या वैधानिक संस्था के मानदंड एवं मानक के अनुरुप होगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा प्रवेश के लिए समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

2.3 एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित मानक अनुसार दिया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय समाचार पत्रों/ विश्वविद्यालय वेबसाइट/ विश्वविद्यालय सूचना पट्ट में सूचना प्रकाशित करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश हेतु भी पात्र होंगे और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति भी एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु वे बी.एस.सी. उपाधि अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थीयों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी, परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2.6 विश्वविद्यालय, छात्र के असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उस पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर पर उसके प्रवेश को निरस्त कर उसके अध्ययन को मध्य में ही समाप्त करने का अधिकार आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि एवं चालन

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होगी जो कि चार समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।

3.2 अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर सेमेस्टर अंतराल सहित घोषणा किया जाएगा।

3.3 पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होगी। तथापि कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकते हैं, जो कि संतोषजनक कारण में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना

समस्त एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. शुल्क

एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से होगा।

6. परीक्षा

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर के दौरान एवं इसके अंत में क्रमशः प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) का आयोजन करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकृत करेगा।

6.2 प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) के पाठ्यक्रम के संपूर्ण घटक के लिए विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6.3 निम्नलिखित कारणों से छात्रों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा अंत सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है :–

(क) छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि –

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 65% से कम अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थिति पर।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) में संतोषजनक प्रदर्शन न होने पर।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित छात्रों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) आयोजित करेगा। इस परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या परीक्षा देने से चूक गए हों।

6.5 यदि अभ्यर्थी किसी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्णतः उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे श्रेणी/अंक/ग्रेड में सुधार या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परीक्षा पुनः देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)

7.1 अंक का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन पाठ्यक्रम के घटकों के अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) द्वारा सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन में किया जाएगा। पाठ्यक्रम के समग्र/ अंतिम परिणाम (पी.आर.ई. + ई.एस.ई.) में न्यूनतम व अधिकतम अंक शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के अनुरुप होगा।

(ख) निर्धारित पाठ्यक्रम में अर्ह होने के लिए छात्र को उस पाठ्यक्रम के अंतिम परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा, वहीं ट्यूटोरियल (टी)/प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घण्टा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अतः क्रेडिट = (एल+.(टी+पी)/2)। विषय में क्रेडिट पूर्ण संख्या होगा किन्तु आंशिक

संख्या नहीं होगा। यदि किसी विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आबंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी एम.पी.एड. की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह उस पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया हो में आबंटित सभी क्रेडिट अर्जित किया हो।

8. उपस्थिति

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है, किंतु 5 प्रतिशत एवं अतिरिक्त 5 प्रतिशत उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर क्रमशः संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा की जा सकती है। तथापि, किसी शर्त के तहत अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या वह प्रतिशत जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को अंत सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

10.1 क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम व उसके अधिभार पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित

किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की पेशकश किसी सेमेस्टर के दौरान की जा सकेगी।

10.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड अंत सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पी.आर.ई.) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

———

Atal Nagar, the 23rd July 2019

NOTIFICATION

No. F 3-7/2017/38-2 (Part-1). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/8471, Dated 18-06-2018 has approved the New Ordinances No. 23 to 27 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU G PILLAY, Principal Secretary.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 23
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS - THREE YEAR DEGREE COURSES

1. APPLICABILITY

1.1 The Faculty of Science of the university shall offer the three years' undergraduate degree courses in Science and shall be designated as Bachelor of Science (Hons) [B.Sc. (Hons)] in the specific subjects of the Department as mentioned in the Statutes/ Ordinances of the university. The details of the subjects along with the department are furnished below:

S.No.	Department	Subjects
1.	Physical Science	Physics, Applied Physics, Laser Science & Applications, Material Science, Nano materials, Nanotechnology, Electronics,Aircraft Maintenance,Aviation,Avionics
2.	Chemical Sciences	Chemistry, Applied Chemistry, Industrial Chemistry
3.	Mathematical and Computational Sciences	Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Computer Science
4.	Life Sciences	Botany, Zoology, Microbiology, Home Science, Bio Chemistry, Food and Nutrition, Food Technology
5.	Earth Sciences	Geology, Environmental Science

1.2 The degree of B.Sc. (Hons) shall be awarded after successful completion in the aforesaid specific subjects of the department.

1.3 The evaluation shall be on the basis of grades and credits earned by the student in each subject of these courses.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

2.1 Every candidate seeking admission to these courses must have passed Higher Secondary (10+2) or relevant course recognized from recognized State/National/International Board/University with prescribed subjects. The eligibility criterion for admission in individual course will be decided by the Academic Council of the university as per the norms laid down by government of Chhattisgarh.

2.2 Admission to B. Sc. (Hons) course shall be offered as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the university. The guidelines issued by the UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall be applicable.

2.3 The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for admission. The students may also secure direct admission in the university and the admission will be given on the basis of merit.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to B. Sc. (Hons)course, provided they have passed (10 + 2) / Higher Secondary Examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The university may permit a student to B. Sc. (Hons) course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the university in respect of the program, provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The university reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be three years and divided into six equal semesters.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration available to a student for completion of B. Sc. (Hons) course shall be of five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any. However, the Vice Chancellor of the university may extend one-year duration in some special circumstances.

3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register him/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC guide lines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the B.Sc. (Hons) course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission(CGPURC).

6. EXAMINATIONS

6.1 The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 65% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks/grades or for any other purpose.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance shall be done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of PRE and ESE. The maximum and minimum marks in the final result (PRE+ ESE) of each subject of the course shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) a particular subject of the respective course, a candidate has to score minimum marks in the composite result of that subject as per the guidelines of the concern authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of B.Sc.(Hons), only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 65% of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 55% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 24
BACHELOR OF COMMERCE AND BACHELOR OF COMMERCE WITH HONOURS THREE YEAR DEGREE COURSES

1. APPLICABILITY

1.1 The Faculty of Management of the university shall offer the following under graduate courses:

(i) Bachelor of Commerce (B. Com)

(ii) Bachelor of Commerce with Honours (B. Com-Hons)

These undergraduate degree courses shall be of three-year duration.

1.2 The degree of B.Com/B.Com (Hons) shall be awarded after successful completion of the respective course.

1.3 The evaluation shall be on the basis of grades and credits earned by the student in each subject of these courses.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

2.1 Every candidate seeking admission to these courses must have passed Higher Secondary (10+2) or relevant course recognized from recognized State/National/International Board/University with prescribed subjects. The eligibility criterion for admission in individual course will be decided by the Academic Council of the university and as per the norms laid down by government of Chhattisgarh.

2.2 Admission to B. Com/B.Com (Hons) course shall be offered as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the university. The guidelines issued by the UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall be applicable.

2.3 The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for admission. The students may also secure direct admission in the university and the admission will be given on the basis of merit.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to B.Com/B.Com (Hons) course, provided they have passed (10 + 2)/Higher Secondary Examination or any other equivalent examination. Admission to

such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The university may permit a student to B.Com/B.Com (Hons) course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the university in respect of the program, provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The university reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be three years and divided into six equal semesters.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration available to a student for completion of B.Com/B.Com (Hons) course shall be of five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any. However, the Vice Chancellor of the university may extend one-year duration in some special circumstances.

3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register him/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of B.Com/B.Com (Hons) course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the B.Com/B.Com (Hons) course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission (CGPURC).

6. EXAMINATIONS

6.1 The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 65% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks/grades or for any other purpose.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance shall be done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of PRE and ESE. The maximum and minimum marks in the final result (PRE+ ESE) of each subject of the course shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) a particular subject of the respective course, a candidate has to score minimum marks in the composite result of that subject as per the guidelines of the concern authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 25
MASTER OF COMMERCE (M.Com) – TWO YEAR DEGREE COURSE

1. APPLICABILITY

The Faculty of Management of the university shall offer the Post Graduate course, Master of Commerce (M.Com). The degree of Master of Commerce shall be awarded to a candidate, who as per the provisions of this Ordinance has successfully completed the course as well as project/dissertation works within the prescribed time period of the said course.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

2.1 The Admission policy shall be as decided from time to time by the Academic Council of the university. The guidelines issued by UGC and the State Government shall be adhered to. The prevailing reservation policy of the State Government shall be applicable.

2.2 Candidates seeking admissions in M.Com courses must have passed Bachelor Degree in Commerce discipline from any recognized university.

2.3 Notwithstanding what has been stated in (2) above, the candidates sponsored by organizations recognized by the Governing Body and applications from foreign nationals received through proper channel may be considered for admission to the M. Com. Their admission shall, however, be governed by the rules prescribed by the university in this respect.

2.4 The eligibility criteria for admission to the M. Com. course shall be as decided by the Academic Council of the university from time to time and announced by the university for Admission each year and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The award of the M. Com. degree shall be in accordance with the Ordinance of the university

3. DURATION OF THE COURSE

3.1 The normal duration of the M. Com. course including project/dissertation work shall be of four semesters. Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organizations as prescribed in the regulations.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of B.Com/B.Com (Hons), only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 65% of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 55% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

3.3 The maximum duration available to a student for completion of M. Com. course shall be of four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any.

3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register himself/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of all M. Com. courses, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the M.Com. courses shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission (CGPURC).

6. EXAMINATIONS

6.1 The university shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be prescribed by the Academic Council in this respect.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 65% or as per Clause (8) of "attendance", in the semester.

(ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory/practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 The teacher may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the PRE, with the approval of the Dean of the School.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance is done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examinations (PRE) and End Semester Examinations (ESE). The maximum and minimum marks in the composite/final result (PRE+ ESE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum as per the guidelines of the concern authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact in lecture (L) shall be equal to one credit where as two hours of contact in tutorial (T) and/or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded off to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of M. Com., only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he/she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Head of the Institute/School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 55% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROJECT & THESIS EVALUATION

(a) **Thesis / Project work:** A student will carry out project work during the last semester. A student shall carry out the project work under the supervision of a member of teaching staff of the department. A student may undertake to execute the project in collaboration with an

industry, research and development organization or another academic institution/university where sufficient facilities exist to carry out the project work. In addition to the supervisor / guide from the department, a joint supervisor/co-guide may be appointed from the industry, a research laboratory or another university with the approval of the HOD. The internal supervisor/guide may, if felt necessary, visit the industry, or the research laboratory or the research university in connection with the project of a student.

(b) **Dissertation and Viva- Voce:** A student shall be required to submit a dissertation on the project work carried out by him/her. Four bound copies of the thesis will be submitted to the head of the department by the last date prescribed in the academic calendar for the purpose. A brief bio-data and a one-page abstract of the project work carried out will be required to be appended to the dissertation. The thesis will be sent to external examiner, appointed by the university, from a panel of experts suggested by the department for examination. Dissertation viva voce will be held as per the date fixed in academic calendar. The external expert who examined the thesis will conduct the viva voce.

(c) **Extension of project:** Extension of project work beyond the submission deadline may be granted in a very special case by the Dean of the School on the recommendation of the department for a maximum period of 6 months.

(d) **Acknowledgement:** Student shall acknowledge involvement and/or contribution of the industry, R & D organization or university in completing the project in the dissertation by appending the certificate to this effect, issued by the supervisor from that industrial organization.

10. BREAK IN THE PROGRAMME

Students may be permitted to take a break in the programme for joining a job provided that they have completed the course work. The project/dissertation work may be done during a later period either in the organization where they work if it has desired research and development facility, or in the university. Such students shall complete the project/dissertation work within the maximum duration for completion of the programme. Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project/dissertation work at a later date shall seek and obtain the permission of the Dean of the School/Head of the Department before doing so.

11. PROJECT WORK

11.1 Sponsored candidates from research and developmental organizations which have facilities of research work in the area proposed and those students who get employment in such organization after completion of the coursework, may be permitted to carry out their project and dissertation work in such organizations.

11.2 Regular candidates may also be permitted to carry out their project and dissertation work in reputed research and development units and other reputed organizations.

11.3 The students who are permitted to do the project and dissertation work in an industry or research and development units and other reputed organizations, shall have to pay the tuition and other fees to the university for the duration of such work. They shall not be eligible to receive any stipend/scholarship/fellowship from the university if they are receiving any financial support from the industry/organization in which they are doing the project/dissertation work.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

12.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be as recommended by the Curriculum & Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

12.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the Progress Review Examination (PRE) and End Semester Examination (ESE).

12.3 The letter grades to be used and their numerical equivalents (called the Grade Points) shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this respect.

12.4 The letter grades shall be awarded for each subject, theoretical or practical and for each module (component) of the curriculum separately.

12.5 The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in a semester and reflects the performance of a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council in this regard.

12.6 The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his / her admission to the degree programme and reflects the Cumulative performance of a student. The CGPA at the end of n^{th} semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 26

BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (B.P.Ed) – TWO YEAR DEGREE COURSE

1. APPLICABILITY

1.1 This ordinance shall be applicable to the candidates admitted to bachelor degree courses in Physical Education. The graduation course in Physical Education leads to the degree of Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) of the university.

1.2 The above courses shall be offered as per the National Council of Teachers Education (NCTE)/University Grants Commission (UGC)/State Government norms, revised from time to time.

1.3 The above course shall be of two-year degree course and divided into four semesters. Each semester would be approximately of six months' duration including vacation/preparatory leave/examination/training etc.

1.4 Number of seats in each course/s shall be decided by the Board of Management of the university as per the norms laid down by the concerned regulatory body.

2. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSIONS AND PROCEDURE

As per the guidelines of the concerned regulatory/statutory body, the eligibility criteria for the course shall be:

2.1 Every applicant for admission to B.P.Ed shall have passed bachelor's degree or equivalent in any discipline and having at least participation in the inter college / inter zone / district/ school competition as recognized by the AIU/ IOA / SGFI /Government of India. In addition, the university shall follow the guidelines issued by NCTE/UGC/State/Central Government regarding admission from time to time. The prevailing reservation policy of the State Government shall applicable.

2.2 The admission to the B.P.Ed course shall be governed by the rules and the criteria set by the Academic Council and/or the relevant statutory body.

2.3 The admission to the B.P.Ed course shall be offered as prescribed by the Academic Council at the first year level. The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for

admission. The students may also secure direct admission in the university and the admission will be given on the basis of merit.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to B. P. Ed. Course, provided they have passed Bachelor Degree Examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the O P Jindal University and The admission will be given on the basis of merit.

2.5 The University may permit a student to B. P. Ed. Course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the University in respect of the programme provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION AND CONDUCTION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be two years divided into four equal semesters.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration of the course shall be of three years. However, one mercy attempt can be granted to a student by Vice Chancellor which should not be more than one year on satisfactory reason.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of B.P. Ed Course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC/NCTE guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the B.P. Ed Course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of CGPURC.

6. EXAMINATIONS

6.1 The university shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be prescribed by the Academic Council in this respect.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the School due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 65% or as per Clause (8) of "attendance", in the semester.

(ii) The performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory/practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 The teacher may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the Progress Review Examination, with the approval of the Academic Council.

7. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examinations (PRE) and End Semester Examinations (ESE). The maximum and minimum marks in the composite/final result (PRE + ESE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum as per the guidelines of the concern authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact in lecture (L) shall be equal to one credit where as two hours of contact in tutorial (T) and/or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded off to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of B.P. Ed. only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he/she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Head of the Institute / School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 55% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 27

MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (M.P.Ed) – TWO YEAR DEGREE COURSE

1. APPLICABILITY

1.1 This ordinance shall be applicable to the candidates admitted to Master Degree course in Physical Education. This post-graduation course in Physical Education leads to the degree of Master of Physical Education (M.P.Ed) of the university.

1.2 The above courses shall be offered as per the National Council of Teachers Education (NCTE)/University Grants Commission (UGC)/State Government of Chhattisgarh norms, revised from time to time.

1.3 The above programme shall be of two-year degree course and divided into four semesters. Each semester would be approximately of six-month duration including vacation/preparatory leave/examination/training etc.

1.4 Number of seats in each course/s shall be decided by the Board of Management of the university as per the norms laid down by the concerned regulatory body.

2. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSIONS AND PROCEDURE

2.1 The eligibility criteria for admission to first year M.P.Ed courses shall have passed B.P.Ed, B.Sc. (Physical Education, Health Education & Sports) or equivalent from any recognized university with percentage of marks as per NCTE guidelines. Prevailing reservation policy of the State shall be applicable.

2.2 The admission to the M.P.Ed course shall be governed by the rules and the criteria set by the Academic Council. In addition, university shall follow the guidelines issued by UGC/NCTE /State Government regarding admission from time to time.

2.3 The admission to the M. P.Ed course shall be offered as prescribed by the academic council at the first year level. The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for admission. The students may also secure direct admission in the university and the admission will be given on the basis of merit.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to M. P. Ed. Course, provided they have passed B.P.Ed examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be

made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The university may permit a student to M.P.Ed course on transfer from other institutes/universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the university in respect of the programme provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The university reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION AND CONDUCTION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be Two years divided into four equal semesters.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean, School of Physical Education at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration of the course shall be of three years. However, one mercy attempt can be granted to a student by Vice Chancellor which should not be more than one year on satisfactory reason.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of all M.P. Ed course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC/NCTE guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the M.P. Ed Course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of CGPURC.

6. EXAMINATIONS

6.1 The university shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for End Semester Examination (ESE) as well as Progress Review Examination (PRE) for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 65% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks /grades or for any other purpose.

7. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examinations (PRE) and End Semester Examinations (ESE). The maximum and minimum marks in the composite/final result (PRE+ESE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum as per the guidelines of the concern authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of M. Ed., only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he/she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 65% of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 55% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.